भाग एक: खण्ड दो

मध्य प्रदेश संरक्षित वन नियम, 2005

(धारा 32 एवं 76 के अन्तर्गत)

अधिसूचना क्रमांक एफ. 25-1-दस-3-04 दिनांक 2 फरवरी, 2005 - भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16) की धारा 32 तथा धरा 76 खण्ड (घ), द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विभाग की अधिसूचना क्र. 8476-8414-दस-60, दिनांक 11 अगस्त, 1960 को अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारम्भ - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश संरक्षित वन नियम, 2005 है।

(2) ये नियम सम्पूर्ण मध्यप्रदेश राज्य को लागू होंगे।

[1](3) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं - इन नियमों में, जब तक सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -

(क) ''संरक्षित वन'' से अभिप्रेत है ऐसा वन जो भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 कशा 16) की धारा 29 के अधीन इस प्रकार घोषित किया गया हो या भारतीय वन अधिनियम, 1927 के प्रवृत्त होने से पूर्व किन्हीं अन्य आदेशों, नियमों या अधिनियमों के अधीन घोषित किया गया कोई अन्य संरक्षित वन;

(ख) उन शब्दों तथा अभिव्यक्तियों का, जिनका इसमें प्रयोग किया गया है किन्तु जिन्हें इन नियमों में परिभाषित नहीं किया गया है वही अर्थ होगा जो उन्हें मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16) में दिया गया है।

3. आरक्षित वृक्ष – राज्य सरकार संरक्षित वनों में खड़े समस्त वृक्षों को आरक्षित वृक्ष के रूप में घोषित करती है तथा केवल अनुमोदित कार्य योजना के उपबन्धों के अनुसार ही इन वनों से वृक्षों को काटा या हटाया जा सकेगा।

4. चराई - राज्य के ऐसे क्षेत्रों के सिवाय, जो कार्य योजना के अनुसार या क्षेत्र के वन मण्डाधिकारी द्वारा तैयार की गई चराई स्कीम के अनुसार चराई के लिए खुले घोषित किये गये हैं, समस्त संरक्षित वन चराई के लिए निषिद्ध घोषित किये जाते हैं।

5. जब तक राज्य सरकार द्वारा विशिष्ट आदेश द्वारा अनुमति नहीं दी जाए, तब तक राज्य के समस्त संरक्षित वनों में निम्नलिखित क्रियाकलाप प्रतिषिद्ध किये जाते हैं:

(क) पत्थर, चूना, रेत या अन्य खनिज का खनन तथा संग्रहण;

(ख) कोयला बनाना;

(ग) कृषि, गृह निर्माण, पशु चराने या किसी अन्य प्रयोजन के लिये वन भूमि को साफ करना या तोड़ना; और

(घ) अनुमोदित कार्य योजना के उपबन्धों के उल्लंघन में वन उपज का संग्रहण।

6. राज्य के समस्त संरक्षित वनों का प्रबंधन केवल अनुमोदित कार्य योजना के अनुसार होगा। (म.प्र. राजपत्र भाग 4(ग) दिनांक 18-2-2005 पृष्ठ 25-26 पर प्रकाशित)

1. म.प्र. राजपत्र भाग 4(ग) दिनांक 18.2.2005 को पृष्ठ 26 पर प्रकाशित।